# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चितौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– नारायण सिंह चारण, आर.ए.एस.

**प्रकरण सं. 10/2014 (निगरानी पंचायत)** **दायर दिनांक 03.03.2014**

1. श्री शमशुद्धीन पिता अब्दुल रहमान खां, मुसलमान, निवासी कन्नौज, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
2. श्रीमती मेहरून पत्नी अब्दुल कदीर खां मुसलमान, निवासी कन्नौज, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

**निगराकार/प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. श्रीमती आमना बानू पत्नी हिदायत खा मुसलमान, निवासी कन्नौज, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. ग्राम पंचायत कन्नौज जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कन्नौज, पंचायत समिति भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ ।

**–गैर निगराकार/(अप्रार्थीगण)**

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत कन्नौज पंचायत समिति भदेसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 5384 दिनांक 08.03.1995

उपस्थित :– वकील निगराकर सं. 01:– श्री छोगालाल जाट
वकील निगराकार सं. 02:–श्री मालम सिंह पँवार
वकील गैर निगराकार सं. 01 :–श्री तस्लीम खां पठान
वकील गैर निगराकार विपक्षी सं. 02:–श्री कृष्ण गोपाल व्यास

## निर्णय दिनांक 28.02.2018

उपरोक्त अनवान प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित भूखण्ड मौजा कन्नौज ग्राम पंचायत कन्नौज तहसील भदेसर आबादी हल्के में रास्ते की भूमि पर साईज 20 बाई 80 फीट अवस्थित है। उक्त भुखण्ड मुख्य रास्ते की भूमि पर होकर उकत रास्ते के दोनो और निगराकारान के आवासीय मकान बने हुए है एवं उक्त मकानों में आने–जाने का रास्ता भी इसी रास्ते से है, इस रास्ते के अलावा निगराकारान के आवासीय मकानों में आने जाने का और काई रास्ता नही है, व यह रास्ता आगे जाकर अन्य आबादी में जाने के रास्ते में मिल जाता है, ऐसी स्थिति में विवादित भूमि सार्वजनिक रास्ता है एवं रास्ते की भूमि पर विपक्षी संख्या

02 को किसी प्रकार का पट्टा आदेश जारी कराये जाने का अधिकार नही होते हुए विपक्षी संख्या 02 ने विपक्षी संख्या 01 के नाम पर पट्टा आदेश जारी कर दिया, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 01 को जिस भुखण्ड का पट्टा जारी किया, उक्त पट्टे पर विवादित भुखण्ड के पडौस अंकित किये गये जिसमें पूरब में आम रास्ता, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में पडत जमीन व दक्षिण में पडत जमीन बतायी गयी, जबकि पूरब एवं पश्चिम दोनों तरफ प्रार्थीगण के मकानात बने हुए है, व विवादित भुखण्ड रास्ते की भूमि है, फिर भी विपक्षी संख्या 02 ने उक्त तथ्यों पर गोर किये बगैर विपक्षी संख्या 01 को पट्टा आदेश जारी कर दिया जिससे मोहल्लेवासियों ने दिनांक 24.01.2014 को जब विपक्षी संख्या 01 उक्त पट्टे की आड मे जबरन कब्जा करने आया तो विपक्षी संख्या 02 के कार्यालय में लिखित शिकायत प्रस्तुत की। जिस पर भी कोई कार्यवाही नही होने से निगराकार संख्या 01 ने दिनांक 30.01.2014 को उपखण्ड अधिकारी भदेसर के कार्यालय में लिखित शिकायत प्रस्तुत की जिस पर उपखण्ड अधिकारी भदेसर ने विकास अधिकारी भदेसर को कार्यवाही हेतु आदेश जारी किये गये फिर भी ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी की ओर से भी किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही आज तक नही हुयी जिससे यह निगरानी बाबत् पट्टा निरस्त कराये जाने आवेदन होने से प्रस्तुत है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये।

विपक्षी सख्या 01 व 02 की और से दिनांक 04.06.2014 को जवाब प्रस्तुत किया कि पंचायत द्वारा उक्त पट्टा आदेश विपक्षी आमना द्वारा नसबंदी करवाने पर ग्राम सभा बैठक दिनांक 05.03.1995 प्रस्ताव संख्या 04 से अनुमोदित कर विपक्षीया आमना के नाम से निःशुल्क भुखण्ड आवंटन कर पट्टा संख्या 005384 दिनांक 08.03.1995 से जारी किया गया जो नियमानुसार सही है। उक्त आदेश का अनुमोदन नियमानुसार पंचायत समिति भदेसर से कराया गया। विपक्षीया आमना का

भूखण्ड मौजा कन्नौज, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ की हल्के आबादी मे स्थित होकर 20X80 फीट का है। उक्त भूखण्ड किसी प्रकार रास्ते की भूमि पर स्थित नही है निगराकारान ने गलत तथ्य अंकित किये है। वास्तविकता यह है कि विपक्षीया का भूखण्ड 20 फीट चौडे रोड पर होकर उत्तर दक्षिण 80 फीट लम्बा है। उक्त 20 फीट चौडा रोड विपक्षीया के भूखझड के पूर्व में होकर भूखण्ड के पश्चिम में भी 12 फीट का रोड स्थित है। इसी प्रकार निगराकारान के भूखण्डों के पूर्व में 12 फीट चौडा रोड है एवं निगराकार शमशुद्धीन के भूखण्ड का मुख्य रास्ता पश्चिम की तरफ खुलता है। उक्त निगराकार शमशुद्धीन ने जानबुझकर विपक्षीया व विपक्षीया के परिवार वालों को अकारण जलील व परेशान करने की नियत से उसके भूखण्ड का मुख्य रास्ता पश्चिम में होते हुए भी पूर्व की तरफ 4 फीट आगे बढकर निर्माण कर लिया है और विपक्षीया के भूखण्ड के पश्चिम दिशा वाले 12 फीट चौडे रोड को 4 फीट संकडा कर दिया है। इसी प्रकार निगराकार मेहरून के भूखण्ड के पूर्व में 12 फीट चौडा रोड होकर विपक्षीया के भूखण्ड के पास होते हुए 20 फीट चौडे रोड पर आसानी से आया जाया जा सकता है। यदि निगराकार मेहरून निशा अपने भूखण्ड के पूर्व दिशा वाले 12 फीट चौडे रोड पर 4 फीट आगे भूतल पर निगारकार शमशुद्धीन ने अवैध निर्माण करा लिया जिससे मेहरून निशा के लिये असुविधा हो सकती है परन्तु निगराकार मेहरून निशा ने भी शमशुद्धीन की पंचायत में शिकायत करने के बजाय शमशुद्धीन के बहकावे में आकर गलत रूप से उक्त निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। विपक्षीया आमना का भूखण्ड किसी प्रकार रास्ते की भूमि में स्थित नही है। विपक्षी संख्या 02 ने विपक्षी विपक्षीया संख्या 01 के नाम नियमानुसार वैधानिक रूप से विधि सम्मत पट्टा जारी किया है। नजरी नक्शा साथ पेश है। ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 01 को जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया और पट्टे में जो पडौस अंकित किये गये वे बिलकुल सही एवं सत्य है पूर्व एवं पश्चिम में प्रार्थीगण के मकानात बने हुए नही है, निगराकार के पश्चिम में 15 फीट चौडा रोड आज भी निर्बाध रूप से चालु होकर उससे वाहन आते जाते है तथा

निगराकार संख्या 01 के भूखण्ड के पूर्व में आज भी 12 फीट चौडा रोड होकर वह भी उत्तर दक्षिण चलता है। जिसे स्वयं निगराकार संख्या 01 ने 4 फीट रोड संकडा कर अपने भूखण्ड से मिला दिया है। इसलिये न्यायहीत में निगराकार संख्या 01 के भूखण्ड के पूर्व दिशा में 4 फीट अवैध निर्माण को उसके स्वयं के खर्चे से तडवाया जाकर रोड को पर्वूवत 12 फीट चौडा किया जाना आवश्यक है। गैर निगराकार संख्या 01 का विवादित भूखण्ड किसी प्रकार रास्ते की भूमि पर स्थित नही है। इसलिये मौहल्ले वालों द्वारा शिकायत करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। फिर भी निगराकारान स्वयं ने यदि कोई झूंठी शिकायत उच्च अधिकारी को की हो तो वह शून्य एवं आधारहीन होने से उस पर कार्यवाही होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। निगराकार के कथनानुसार ही गैर निगराकार संख्या 01 को पट्टा दिनांक 08.03. 1995 को जारी किया गया है तो निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है निगरानी मियाद बाहर होकर श्रवण योग्य नही है। अतः जवाब निगरानी विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी मय हर्जा–खर्चा निरस्त फरमायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई जिसमें निगराकार सं. 02 के अधिवक्ता ने बताया कि हमे पट्टे पर कोई आपत्ति नही है। कम पढे लिखे होने से अगूंठा निशानी करवा कर यह निगरानी पेश कर दी है। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02 नेबताया कि विपक्षी संख्या 01 को पट्टा जारी किया गया जिसे गलत मानते हुए यह निगरानी पेश की है। यह 20X80 साईज का गली टाईप का भूखण्ड है। अतः यह रास्ते की भूमि है। मेरे मकान के पास आम रास्ते में काम आने वाली यह भूमि है और कोई हमारा रास्ता नही है। ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये रास्ते की भूमि पर भूखण्ड काट कर पट्टा दे दिया। यदि यहां निर्माण हो गया तो फिर हमारे वैध पट्टों का कोई औचित्य ही नही रहेगा। हमने हमारे पट्टे की कॉपी पेश की है जिसके पास लगती रास्ते की भूमि है। ऐसी स्थिति में हमारी निगरानी स्वीकार की जाकर रास्ते की भूमि का विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 को जारी पट्टा

निरस्त फरमावे। मेहरून निशा ने भी अपनी निगरानी पेश की है उसके विपरीत बहस नही कर सकते है या तो अपनी निगरानी विड्रा करते या हमसे अनापत्ति प्राप्त कर मेहरून निशा की ओर से वकालतनामा देते। निगरानीकार संख्या 02 के अधिवक्ता की बहस मान्य नही है।

विपक्षी संख्या 01 का कथन है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 4 से मुझे निःशुल्क पट्टा दिनांक 08.03.1995 को जारी किया गया जिसका अनुमोदन पंचायत समिति भदेसर से भी कराया गया। दिनांक 31.12.2012 को निर्माण स्वीकृती प्राप्त कर निर्माण करवाया गया। ये हमारा पट्टा रास्ते की भूमिया मान रहे है जबकि ऐसा नही है। निगराकार ने अपने स्वामित्व संबंधि कोई दस्तावेज पेश नही किये है इनका क्या अधिकार है। पट्टा 1995 में जारी हुआ, 2012 में निर्माण स्वीकृति जारी हुई तब भी कोई आपत्ति नही आयी। अतः 2014 में निगरानी पेश करने का कोई औचित्य नही है। मुझ गरीब महिला को ये बेदखल करना चाहते है। हमारा पट्टा नियमानुसार जारी हुआ है। मै 1995 से लगातार काबिज हूं। निगरानी मय हर्जे–खर्चे खारिज फरवाये।

विपक्षी संख्या 02 का कथन है कि पट्टा सही जारी हुआ है पट्टा किसी भी रास्ते में नही आता है निगरानी खारिज करने का श्रम करें।

पत्रावली पर उभय की बहस के कथन पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया जिसमें ग्राम पंचायत कन्नौज द्वारा श्रीमती आमना बानू पत्नी हिदायत खा मुसलमान, निवासी कन्नौज को पट्टा संख्या 5384 दिनांक 08.03.1995 को 20X80 का जारी किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा पट्टा निरस्त कराने के संबंध में काई ठोस सबूत अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जबकि ग्राम पंचायत कन्नौज द्वारा अपने पत्र क्रमांक/ग्रा.प./2015–16/77 दिनांक 23.06.2015 से अवगत करवाया की उक्त पट्टा नसबंदी (परिवार कल्याण) के केस कार्ड संख्या 14 से ग्राम सभा दिनांक 05.03.1995 को प्रस्ताव संख्या 04 से निःशुल्क दिया गया है। उक्त पट्टा कोनसा है तथा भूमि कैसी है, पट्टा जारी होने के संबंध

में कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये है तथा न ही रास्ते की भूमि होने के सबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किये है। भूखण्ड की साईज के आधार पर पट्टा खारिज करने का कोई आधार नही है। इस संबंध में प्रार्थी भी अपना पक्ष साबित नही करा पाये है। वर्ष 1995 में जारी किये गये पट्टे के संबंध में 15 वर्ष बाद निगरानी प्रस्तुत करने के संबंध में कोई उचित कारण नही बताया गया है, ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस आधार व दस्तावेज के अभाव में ग्राम पंचायत कन्नौज द्वारा जारी पट्टा को खारिज किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानीकार द्वारा निगरानी को साबित कराने में असफल रहने एवं अभिलेख के अभाव में निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ